27/6/25 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारण उपस्थित।
P.O. ... /अवकाश
पर पक्षा। ... आधार.....
दिनांक 11/7/25 को पेश हो।

11/7/25 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारण अनुo
अवलोकन मौका रिपोर्ट हेतु
पत्रावली दिनांक 22/8/25 को पेश हो

उपखण्ड अधिकारी
अराई

22/8/25 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप०। वकील वादी की बहस सुनी गयी। प्रतिवादीगण बावजूद तामील अनु०। अतः प्रतिवादी नं० 1/1 से 1/5 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। तहसील से प्राप्त मौका जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। वकील वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। पत्रावली में निर्णय पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से खारिज हो।

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम(अराई) अजमेर

व इजलास श्रीमति नीतू मीना (आर.ए.एस.)

वाद क्रमांक 97/2024

दिनेश कुमार मीणा पुत्र दुर्गा लाल मीणा जाति मीणा आयु 32 साल निवासी गोकुलपुरा, तहसील हिण्डोली जिला बूंदी राज.

बनाम प्रार्थी

1. रतना पुत्र धीसा जाति भील निवासी अरांई तहसील अरांई जिला अजमेर राज. (मृतक)
1/1 प्रहलाद पुत्र रतना जाति भील आयु 64 साल निवासी अरांई तहसील अरांई जिला अजमेर राज.
1/2 रामाकिशन पुत्र रतना जाति भील आयु 62 साल निवासी अरांई तहसील अरांई जिला अजमेर राज.
1/3 कमला पत्नी रामधन जाति भील आयु साल निवासी अराई तहसील अरांई जिला अजमेर राज.
1/4 लक्ष्मण पुत्र रामधन जाति भील आयु तहसील अरांई जिला अजमेर राज. साल निवासी अरांई
1/5 रामचन्द्र पुत्र रामधन जाति भील आयु साल निवासी अरांई तहसील अरांई जिला अजमेर राज.
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब अरांई, जिला अजमेर (राज.)

अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

दिनांक: 22/8/2025

उपस्थितः वकील प्रार्थी श्री भवानीसिंह राठौड एडवोकेट

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण द्वारा जरिये वकील श्री भवानीसिंह राठौड एडवोकेट के माध्यम से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत विरूद्ध अप्रार्थी न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में जरिये अभिभाषक निवेदन किया किया कि प्रार्थी के अधिकार खातेदारी की कृषि भूमि ख.सं. 247. रकबा 0. 9708 हैक्टेयर व खसरा संख्या 248 रकबा 0.2023 हैक्टेयर किस्म गै.मु. छापर ग्राम रघुनाथपुरा पटवार हल्का कटसूरा भू.अभि.नि. क्षेत्र अरांई तहसील अरांई में स्थित है। जिस पर प्रार्थी काबिज काश्त है।वादं वर्णित भूमि खसरा संख्या 247 के पूर्व मे लगती हुई खसरा संख्या 249 रकबा 0.0809 हैक्टेयर किस्म गै.मु. छापर व खसरा संख्या 250 रकबा 0.5663 हैक्टेयर किस्म गु.मु. छापर अपार्थी संख्या 1 की भूमि है एवं खसरा संख्या 249. 250 के पूर्व दिशा मे अप्रार्थी संख्या 2 की कृषि भूमि खसरा संख्या 257 रकबा 0. 2670 किस्म गै.मु. छापर के आगे पूर्व दिशा मे खसरा संख्या 258 रकबा 0.2348 हैक्टेयर गै.मु. रास्ता राजस्व रिकोर्ड मे दर्ज है।प्रार्थी प्रार्थना पत्र पैरा सं. 1 में वर्णित कृषि भूमि मे आवागमन के लिये उपरोक्त खसरा संख्या 258 गै.मु. रास्ते से होकर अप्रार्थी संख्या 2 की खसरा संख्या 257 के दक्षिणी पश्चिमी सीरे से सींव सींव प्रवेश कर अप्रार्थी सं. 1 की भूमि खसरा संख्या 250, 249 के दक्षिणी पश्चिमी सींत के सहारे सहारे आता जाता है। उक्त रास्ता ही प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 247 मे पहुंच हेतु निकतम लघुतम होकर खसरा संख्या 258 गै.मु. रास्ते से जुडता है। प्रार्थना पत्र पैरा संख्या 3 मे वर्णित रास्ता राजस्व रिकोर्ड मे जमाबंदी एवं राजस्व मानचित्र मे चिन्हित नही होने से विवाद की स्थिति रहती है प्रार्थना पत्र पेरा सं. 3 में वर्णित रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक (Alternative Way) रास्ता प्रार्थी के पास आवगमन का निकटतम व लघुतम व सुलभ सुगम रास्ता नहीं है तथा प्रार्थी के खातेदारी भूमि के उत्तर पश्चिम दक्षिण की भूमि राज्य सरकार के नाम होकर खाता सं 1 मे दर्ज है।प्रार्थना पत्र के साथ अनुसलंग्न नजरी नक्शे मे अप्रार्थी संख्या 1 की खसरा संख्या 249, 250 व अप्रार्थी संख्या 2 की खसरा संख्या 257 मे से उपरोक्त उनकी भूमि के दक्षिणी पूर्वी सींत से रास्ते को लाल रंग से ।BCD के द्वारा दर्शित किया गया है। उक्त नजरी नक्शा

इस प्रार्थना पत्र का एक अंग व भाग माना जाकर इसके साथ पढ़ा जावे। उक्त रास्ता उपरोक्त तीनो खसरो की सीत सीद चाहा गया है जिससे उनकी भूमि की उपयोगिता भी कम नहीं होती है।प्रार्थना पत्र पैरा संख्या 2, 3 में वर्णित खसरा संख्या 249, 250 का खातेदार रतना पुत्र धीसा भील का देहवासन दिनांक 28/06/2023 को हो चुका है लेकिन राजस्व रिकोर्ड में विरासत नामान्तरण दर्ज नही होने से उसके जीवित वारिसान को पक्षकारान के रुप में संयोजित किया गया है ताकि विधिक त्रुटी ना रहे जहां भी अधार्थी संख्या 1 अंकित किया गया है वहा उसके वारिसान 1/1 से 1/5 के रुप में पढा, माना जावे। प्रार्थी सदभाविक कृषक है तथा प्रार्थी की भूमि धारा 5 (24) के तहत कृषि भूमि है तथा वर्तमान समय में कृषि कार्य भी औधोगिक उपकरणो से होता है जिसमे ट्रेक्टर ट्रोली फसल काटने की मशीन, थ्रेसर तथा अत्याधुनिक मशीन कम्पास की आवश्यकता रहती है। इस कारण वर्तमान परिपेक्ष्य में 30 फीट चौडा रास्ता होना वतर्मान कृषि औधोगिक कांति के परिपेक्ष्य में आवश्यक व वांछित है। प्रार्थी अप्रार्थी की रास्ते में आने वाली भूमि के बाबत विधायिका के उपबंधो के अनुसार प्रचलित जिला स्तरीय समिति दर से दुगनी राशि संदाय करने के लिये अप्रार्थी संख्या 1 के वारिसान व खसरा संख्या 257 गै. मु. छागर की राशि राज कोष मे निक्षेपित कराने के लिये इच्छुक, तत्पर व सहमत है। वर्तमान युग में काश्तकार को स्वयं की भूमि पर आवागमन के लिये रिकार्डेड रास्ता विधिक के अन्तर्गत आवश्यक मानते हुए राज. काश्तकारी अधिनियम में काश्तकारो की उक्त समस्या के निराकरण के लिये उपरोक्त विधिक प्रावधानो को संक्षिप्त प्रकिया से अवधारित किया गया है प्रार्थी का प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पूर्ण सदभाविक है जिसमे प्रार्थी की कोई दुर्भावयुक्त उद्देश्य नही है। प्रार्थी के आवागमन हेतु उपरोक्त प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 3 मे वर्णित रास्ता ही एकमात्र लघुतम निकटतम रास्ता है उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। प्रार्थी के लिये उक्त रास्ता अत्यन्त आवश्यक है इस हेतु प्रार्थी माननीय न्यायालय के प्रत्येक आदेश की पालना हेतु तत्पर एवं सहमत है। कि अप्रार्थी संख्या 1 के वारिसानो के द्वारा प्रार्थी के साथ किये गये अनुबंध के विपरित जाकर उक्त रास्ता बंद कर अन्य को बेचान करने की दिनांक 11.09.2024 को धमकी दिये जाने से उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया जाना आवश्यक हुआ है । अप्रार्थीगण संख्या 1 से 5 की भूमि में से 18 फुट के रास्ते की आवश्यकता है इसलिए यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है।प्रार्थीगण नियमानुसार डी. एल.सी. दर से राशि जमा कराने को तत्पर एवं तैयार है। प्रार्थीगण ने अपनी कृषि भूमि में स्थित जोत के उपयोग उपभोग कृषि कार्य एवं कृषि भूमि के विकास के लिये अप्रार्थीगण की कृषि भूमि मे से 30 फीट तक रास्ते हेतु निवेदन किया है ।

अप्रार्थी को प्रार्थना पत्र के नोटिस वास्ते जाहिर करने वजह (Civil Procedure Code Appendix H, Form No. 4) के तहत् नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी को दिनांक 01.01.2024 को विधिवत नोटिस तामिल हुये। दिनांक 02.05.2025 को तहसीलदार अरांई द्वारा मौका रिपोर्ट पेश की। मौका रिपोर्ट में तहसीलदार अराई ने अंकित किया कि ग्राम रधुनाथपुरा स्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 247,248 में कृषि कार्य हेतु आवागमन के लिए खसरा संख्या 249,250,257 के अतिरिक्त अन्य निकटतम एवं वेकल्पिक रास्ता नही है ।

ख0नं0 249 रास्ते हेतु रकबा 0.0066 है0 डीएलसी अनुसार मूल्य 5412/– ए से बी
खं0नं0 250 रास्ते हुए रकबा 0.2964 है0 डीएलसी अनुसार मूल्य 24305/– बी से सी
ख0नं0 257 रास्ते हेतु रकबा 0.0104है0 डीएलसी अनुसार मूल्य 8561/– सी से डी
कुल रकबा 0.0466 हैक्टेयर डीएलसी अनुसार मूल्य 38278/– का दुगुना मूल्य 76556/–

18 फीट रास्ते हेतु अधिग्रहित की जाने वाली कुल भूमि 0.0466 हैक्टेयर है तथा अधिग्रहित की जाने वाली भूमि की वर्तमान डीएलसी दर से निर्वापित राशि 38278/– रूपये है जिसकी दुगुना राशि 76556/– अक्षरे छियत्तर हजार पाच सो छप्पन रूपये होगी । वकील प्रार्थी ने उपस्थित होकर निवेदन किया कि प्रार्थी रास्ते के रूप में प्रयुक्त होने वाली अप्रार्थी की भूमि के रास्ते की राशि डीएलसी दर अनुसार अदा करने में सहमत, तैयार, तत्पर है । हमारे द्वारा उक्त प्रकरण में वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई तथा दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। प्रार्थी को रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता है अतः तहसीलदार अराई की अनुशंषा एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना विधिपूर्ण है । उपरोक्त विवेचन के अनुसार अग्रलिखित आदेश दिये जातें है:–

–: आदेश :–

3. प्रार्थी की कृषि भूमि ग्राम रधुनाथपुरा स्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 247,248 में आवागमन के लिये में आवागमन हेतु कोई रिकार्डेड रास्ता उपलब्ध नहीं है तथा प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के साथ पेश नजरी मानचित्र अनुसार एवं पेरोकार सरकार द्वारा पेश रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी की खातेदारी भूमि कृषि ग्राम

रघुनाथपुरा स्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 247,248 में आवागमन ख0नं0 249,250,257 से होना स्पष्ट होता है एवं उक्त रास्ता निकटतम रास्ता प्रार्थी ने अप्रार्थी की रास्ते हेतु अधिग्रहित की जाने वाली भूमि की एवज में रास्ते की राशि डीएलसी दर अनुसार अदा करने हेतु सहमति जाहिर की है। तहसीलदार अराई कीजांच रिपोर्ट कमांक भू0अ0/2025/2129 दिनांक 02.05.2025 के अनुसार भूमि अधिग्रहित की जाकर वाद अधीन भूमि की के रास्ते हेतु अधिग्रहित भूमि कुल भूमि 0.0466 हैक्टेयर है तथा अधिग्रहित की जाने वाली भूमि की वर्तमान डीएलसी दर से निर्वापित राशि 38278/– रूपये है जिसकी दुगुना राशि 76556/– अक्षरे छियत्तर हजार पाच सो छप्पन रूपये होगी जो प्रार्थी द्वारा 88 राजस्व मण्डल 8443 सिविल डिपोजिट के मद 8443–00–103–00–00 प्रतिभूति जमा की जायेगी ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर तहसीलदार अरांई को आदेश दिये जातें है कि ग्राम रघुनाथपुरा स्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 247,248 में आवागमन के लिये में से रास्ते हेतु भूमि अधिग्रहित की की जाने वाली भूमि कुल भूमि 0.0466 हैक्टेयर है तथा अधिग्रहित की जाने वाली भूमि की वर्तमान डीएलसी दर से निर्वापित राशि 38278/– रूपये है जिसकी दुगुना राशि 76556/– अक्षरे छियत्तर हजार पाच सो छप्पन होगी जो प्रार्थी द्वारा 88 राजस्व मण्डल 8443 सिविल डिपोजिट के मद 8443–00–103–00–00 प्रतिभूति जमा की जायेगी । प्रार्थी को अधिग्रहित भूमि का मूल्य राशि तहसीलदार अराई के माध्यम से राजकोष में जमा कराने के आदेश दिये जाते है तहसीलदार अराई को आदेशित किया जाता है कि उक्त मुआवजा राशि राजकोष में जमा होने के पश्चात उनकी रिपोर्ट के साथ संलग्न मौका पर्चा अनुसार रास्ता कायम कर राजस्व रिकार्ड में रकबा 0.0466 हैक्टेयर भूमि रास्ता सिवायचक दर्ज कर राजस्व नक्शे में तरमीम करे तथा प्रार्थी द्वारा राजकोष में जमा राशि को अप्रार्थी को नियमानुसार वितरित करने की कार्यवाही करे।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 22/8/2025 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर किये गये। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

WB

नीतू मीना (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)